



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 वैशाख 1939 (श10)
(सं0 पटना 367) पटना, बुधवार, 3 मई 2017

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
(निबंधन)

अधिसूचना
2 मई 2017

सं० 3/मु० बैठक-67/2005 (खण्ड)-2040—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1860 की धारा 2 के खण्ड (26) सपठित धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को, निबंधन महानिरीक्षक एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बीच निष्पादित एकरारनामा के निबंधनों एवं शर्तों के अधीन e-stamping प्रणाली के अधीन गैर न्यायिक स्टाम्प को मुद्रित करने एवं बेचने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

अधिसूचना दोनों पक्षों के बीच एकरारनामा की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

2 मई 2017

सं० 3/मु० बैठक-67/2005 (खण्ड)-2040—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 2nd May 2017

No. 3/mu-baithak-67/2005 (Part)-2040— In exercise of the powers conferred by clause (26) of section 2 read with Section 74 of Indian Stamp act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to authorize the Stock Holding Corporation of India Ltd. to Print and sell stamp under e-stamping system in the State of Bihar in accordance with the terms and Conditions of the Agreement executed between the Inspector General of Registration and Stock Holding Corporation of India Ltd.

The Notification shall come into force from the date of Agreement between both the parties.

By the order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 367-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>